२१/१०/८५

अधिवक्ता अपीलार्थ उप०।

अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह उक्त प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। अतः पत्रावली अभिये नोट शीट आदि आवश्यक कार्यवाही।

अधिवक्ता अपीलार्थ के निवेदन पर पत्रावली अभिये नोट शीट खारिज की जाती है पत्रावली कैसल शुमारी

Not Press

अति० राजस्व अधिकारी
पाली